बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांक– 14 आपदा 02/2024 .... दिनांक– ..../........../2025

प्रेषक,

निदेशक,
पशुपालन, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी,
बिहार।

विषय :– **भीषण गर्मी एवं लू (Heat Wave) से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपदा प्रबंधन विभागीय पत्रांक–1/प्रा0आ0–20/2015/खण्ड/1048/आ0प्र0 दिनांक 20.03.2025 अनुलग्नक सहित संलग्न करते हुए कहना है कि ग्रीष्मकाल में राज्य में भीषण गर्मी के साथ–साथ लू (Heat Wave) चलती है, जिससे पशुधन के प्रभावित होने एवं उनकी क्षति होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त निदेश में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन प्रभाग) से निम्नांकित कार्य अपेक्षित है:–

1. ग्रीष्मकाल में पशुओं में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु ठोस रणनीति के तहत रोग निरोधक उपाय यथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था।
2. सरकारी ट्युबेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गढ्ढा खुदवा कर पानी इकठ्ठा किया जाए ताकि पशु–पक्षियों को पानी मिल सके।
3. पशुओं को बीमार पड़ने पर चिकित्सा दल की व्यवस्था।
4. जिला स्तर एवं प्रखण्ड स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित किया जाय।
5. भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाय एवं लू के दौरान क्या करें, क्या न करें का प्रचार–प्रसार कराया जाय।

अतः उक्त के आलोक में भीषण गर्मी एवं लू (Heat Wave) से बचाव हेतु उपर्युक्त निदेशों के अतिरिक्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
निदेशक पशुपालन।

ज्ञापांक :– 14 आपदा 02/2024 1293 (प0) पटना–15, दिनांक 24/03/2025

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सहायक निदेशक, सूचना एवं प्रसार पशुपालन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को संबंधितों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/3

निदेशक पशुपालन।

(18)

अत्यावश्यक

पत्रांक–01/प्रा0आ0–20/2015 (खण्ड)/1048/आ०प्र०

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
स्वास्थ्य विभाग/शिक्षा विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/
समाज कल्याण विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/श्रम संसाधन विभाग/ऊर्जा विभाग/
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/पंचायती राज विभाग/
ग्रामीण विकास विभाग/परिवहन विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना
महानिदेशक, राज्य अग्निशमन निदेशालय, बिहार, पटना
निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, फुलवारी शरीफ, पटना
निदेशक, बिहार मौसम सेवा केन्द्र, पटना।

पटना–23, दिनांक–20-03-25

विषय: **भीषण गर्मी एवं लू (Heat wave) से बचने के उपाय से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य में गर्मी के मौसम में भीषण गर्मी के साथ लू (Heat wave) चलती है, जिसके कारण जन–जीवन प्रभावित होता है एवं आम जनता को स्वास्थ्य एवं पेयजल संबंधी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विशेषकर छोटे बच्चों, स्कूली बच्चों, गर्भवती एवं धातृ महिलाओं एवं काम के लिए घर से बाहर निकलने को बाध्य दिहाड़ी मजदूरों को काफी समस्याएँ आती हैं। साथ ही, पेयजल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार के संबंधित विभागों के द्वारा आमजनों को भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु कारगर उपाय के संबंध में यथोचित आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा लू से बचाव हेतु जिला स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए व लू के दौरान 'क्या करें, क्या न करें' का प्रचार–प्रसार कराया जाए।

अतः भीषण गर्मी एवं लू से बचाव हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा तैयार Heat Wave Action Plan के आलोक में विभिन्न विभागों के स्तर से निम्न कार्रवाईयाँ अपेक्षित हैं :

1. नगर विकास एवं आवास विभाग

   i. शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक जगहों पर स्थानीय निकायों द्वारा पियाऊ की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। इन स्थानों पर गर्म हवाओं एवं लू से बचाव से संबंधित सूचनाओं एवं अलर्ट को कलर कोडिंग के साथ प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि आमजन इनसे भलीभाँति अवगत हो सकें।

   ii. अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत खराब चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर करायी जानी चाहिए।

   iii. नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आश्रय स्थलों में पेयजल तथा स्लम के निवासियों हेतु आकस्मिक दवाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. स्वास्थ्य विभाग

i. सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/रेफरल अस्पतालों/सदर अस्पतालों/अनुमंडलीय अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में लू से प्रभावितों के ईलाज हेतु विशेष व्यवस्था कर ली जाए। सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ओ0आर0एस0 पैकेट, आई0 भी0 फ्लूड एवं जीवन रक्षक दवा इत्यादि की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए।

ii. अत्यधिक गर्मी से पीडित व्यक्तियों के ईलाज हेतु आवश्यकतानुसार अस्पतालो में आईसोलेसन वार्ड की व्यवस्था कर ली जानी चाहिए एवं लू से पीडित बच्चों, वृद्धों, गर्भवती महिलाओं तथा गम्भीर रूप से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। आवश्यकतानुसार प्रभावित जगहों के लिए स्टैटिक/चलन्त चिकित्सा दल की भी व्यवस्था कर ली जाए।

iii. गर्म हवाएँ/लू से बचाव के उपाय से सबधित I E C सामग्री स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही, स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

iv. सभी अस्पतालों में स्वच्छ पेयजल, शीतल छत समाधान और शीतल कक्ष (Cool Room) की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही, लू से पीड़ित व्यक्तियों के ईलाज के लिए शीतल कक्ष (Cool Room) में ही व्यवस्था की जाए।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

i. खराब चापाकलों की मरम्मत युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए।

ii. जिन स्थानों पर नल का जल नहीं पहुँचता हो एवं चापाकलों में पानी की कमी हो गयी हो, वहाँ आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा पेयजल संकट से निबटने हेतु निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार टैंकरों के माध्यम से पेयजल पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जानी चाहिए।

iii. भूगर्भ जल स्तर की लगातार समीक्षा की जाए एव इस पर सतत् निगरानी रखी जानी चाहिए।

4. शिक्षा विभाग

i. स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय या तो सुबह की पाली में ही संचालित हों अथवा गर्मी की छुटियाँ निर्धारित समय से पूर्व घोषित कर दी जाएँ। गर्मी की स्थिति को देखते हुए स्कूलों को अल्प अवधि के लिए बन्द किया जा सकता है। इस हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के द्वारा समीक्षा कर निर्णय लिया जाना चाहिए।

ii. सभी स्कूलों एवं परीक्षा केन्द्रों में पेयजल, ORS की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

iii. गर्म हवाएं/लू से बचाव के उपाय से संबंधित IEC सामग्री स्थानीय स्तर पर मुद्रित कर पम्पलेट/पोस्टर के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए। साथ ही, स्थानीय प्रचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा सकता है।

5. समाज कल्याण विभाग

i. सभी आँगनबाडी केन्द्रों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए एवं वहाँ पर गर्म हवाओं एव लू से बचाव से सबंधित I E C (बच्चों को समझने हेतु) सामग्री प्रदर्शित कर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए।

ii. स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आँगनबाड़ी केन्द्रों पर जीवन रक्षक घोल (ORS) की व्यवस्था करनी चाहिए।

iii. नवजात शिशु, बच्चो, धात्र एव गर्भवती महिलाओ के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से विशेष चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

12. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

i. गर्मी के दिनों में लू चलने से वन्य जीव भी प्रभावित होते हैं। अत: वन्यजीव उद्यानो तथा अभ्यारण्यों में पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ii. वन्यजीव उद्यानों में जानवरों के पिंजड़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. अभ्यारण्यों में गड्ढे खोदकर वन्य जीवों के लिए जल की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iv. पर्यटन स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था की जाए। साथ ही, लू से बचाव हेतु पर्यटकों के लिए एडवाईजरी निर्गत किया जाए।

13. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

गर्म हवाएँ/लू से बचाव के उपाय से संबंधित विज्ञापन का प्रचार–प्रसार प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के माध्यम से कराया जाय। साथ ही, गर्म हवाएँ/लू से बचाव के उपाय से संबंधित जिंगल को भी राज्य के एफ एम एवं आकाशवाणी के रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रचारित कराया जाय। इसे सोशल मिडिया यथा–Facebook, WhatsApp एवं Twitter आदि के माध्यम से भी प्रचारित कराया जाए।

14. सूचना प्रावैधिकी विभाग

गर्म हवाएँ/लू से बचाव हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड/इन्टरफेस बनाया जाय तथा इसके माध्यम से बल्क एस0एम0एस0 भेजने की व्यवस्था की जाए।

15. राज्य अग्निशमन निदेशालय

भीषण गर्मी के कारण अगलगी की घटनाओं मे भी वृद्धि हो जाती है। अगलगी की घटनाओं से निबटने तथा उनके रोकथाम के लिए एतद विषयक विभागीय मानक संचालन प्रक्रियानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करायी जाए।

16. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार

गर्म हवाएँ/लू से बचाव हेतु "क्या करें, क्या न करें" को जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर इसे जन–सामान्य के बीच प्रचारित किया जाय। साथ ही, संलग्न Heat Wave Action Plan के तहत संबंधित कार्यालयों/निकायों को Sunstroke से बचने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेशित किया जाय। समय–समय पर लू–जनित बिमारियों एवं उनकी गंभीरता से लोगो को अवगत कराने हेतु Press Conferences किया जाय। सार्वजनिक जगहों पर पेयजल की व्यवस्था की जाय।

अतः अनुरोध है कि भीषण गर्मी एवं लू से बचने से संबंधित उपर्युक्त निदेशों के अतिरिक्त इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों के द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाए।

अनु०–Heat Wave Action Plan (PDF)।

विश्वासभाजन,

अपर मुख्य सचिव

6. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

i. सरकारी ट्यूबवेल के समीप अथवा अन्य सुविधायुक्त स्थानों पर गड्ढ़ा खुदवा कर पानी इक्कट्ठा किया जाए, ताकि पशु–पक्षियों को पानी मिल सके।

ii. पशुओं के बीमार पड़ने पर चिकित्सा दल की व्यवस्था की जाएगी।

7. ग्रामीण विकास विभाग

i. मनरेगा अन्तर्गत तालाबों/आहर इत्यादि की खुदाई की योजनाओं में तेजी लायी जाए, जिससे इनमें पानी इक्कठ्ठा कर पशु–पक्षियों को पानी उपलब्ध कराया जा सके।

ii. लू चलने पर मनरेगा की कार्य अवधि को सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा अपराह्न 3:30 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

iii. कार्य स्थल पर पेयजल, विशेष आश्रयो की स्थापना एवं लू लगने पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

8. पंचायती राज विभाग

i. विभाग के द्वारा पंचायतों में लू चलने के दौरान "क्या करें क्या न करें" का प्रचार प्रसार कराया जाना चाहिए।

ii. गाँवों में पेयजल की व्यवस्था हेतु पंचायतों को कार्य–योजना बनाने हेतु निदेशित किया जा सकता है तथा जल संरक्षण की योजनाओं पर कार्य किया जा सकता है।

9. श्रम संसाधन विभाग

i. लू से बचाव हेतु मजदूरों के कार्य अवधि को लचीला किया जा सकता है। लू चलने पर कार्य अवधि को सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक तथा अपराह्न 3:30 बजे से 6:30 बजे तक निर्धारित किया जा सकता है।

ii. कार्य स्थल पर पेयजल की व्यवस्था तथा लू से बचाव हेतु प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

iii. खुले में काम करने वाले, भवन बनाने वाले तथा कल–कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए पेयजल, आईस पैड की व्यवस्था के साथ शेड की भी व्यवस्था करनी चाहिए।

iv. साथ ही, लू से बचाव हेतु औद्योगिक मजदूरों एवं अन्य मजदूरों के बीच जागरूकता कैम्प लगवाया जाए।

10. परिवहन विभाग

i. लू चलने की अवधि में जहाँ तक संभव हो, वाहनों का परिचालन कम से कम करना चाहिए तथा पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:30 बजे तक सार्वजनिक परिवहन की गाडियों के परिचालन को नियंत्रित किया जा सकता है।

ii. सार्वजनिक परिवहन की गाडियों में पेयजल तथा ओ०आर०एस० के साथ–साथ प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था की जाए।

11. ऊर्जा विभाग

i. प्रायः बिजली के तारो के ढीला रहने के कारण वे हवा चलने पर आपस में टकराते रहते हैं, जिससे चिनगारी निकलने की सभावना रहती है। इन चिनगारियाँ के कारण भी अगलगी की घटनाएँ होती हैं। अतएव बिजली के ढ़ीले तारों को भी ठीक करवाने की व्यवस्था कर ली जाए।

ii. निर्बाध बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–20 / 2015 (खण्ड) / 1048 / आ०प्र० पटना–23, दिनांक– 20-03-25

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / विकास आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–20 / 2015 (खण्ड) / 1048 / आ०प्र० पटना–23, दिनांक– 20-03-25

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / पुलिस महानिदेशक–सह–असैनिक सुरक्षा आयुक्त, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–20 / 2015 (खण्ड) / 1048 / आ०प्र० पटना–23, दिनांक– 20-03-25

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सचिव, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (BSDMA) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र (A, B, C) में दैनिक प्रतिवेदन राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र के ईमेल–scoc-dmd-bihar@bihar.gov.in पर भेजने की कृपा की जाय।

अनु०–यथोक्त।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–20 / 2015 (खण्ड) / 1048 / आ०प्र० पटना–23, दिनांक– 20-03-25

प्रतिलिपिः निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग, पटना / निदेशक, बिहार मौसम सेवा केन्द्र, पटना को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की दैनिक न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान प्रतिदिन अपराह्न 4:00 बजे विभाग के राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को ईमेल–scoc-dmd-bihar@bihar.gov.in पर भेजने की कृपा की जाय।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक–01 / प्रा0आ0–20 / 2015 (खण्ड) / 1048 / आ०प्र० पटना–23, दिनांक– 20-03-25

प्रतिलिपिः प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र/आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

Govt. of Bihar Department of Disaster Management Heat Wave Report (Dated on .....)

S.No.	Block Name	Number of Deaths due to Heat Wave (Today)	Number of Deaths due to Heat Wave (Cumulative)	Number of deceased person for whom ex-gratia payment done (Today)	Number of deceased person for whom ex-gratia payment done (Cumulative)	Number of persons hospitalized (Today)	Number of persons hospitalized (Cumulative)	Number of hospitalized person for whom payment done (Today)	Number of hospitalized person for whom payment done (Cumulative)	Remarks

Letter No.:

Date:

Copy:

Signature of District Officers/

Additional District Magistrate(ADM)(Disaster Management)/

Officer in Charge(District Disaster Management)/

[DISTRICT]